पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक भूमिका : एक अवलोकन

दिग्विजय सिंह
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
एम०एम० (पी०जी०) कॉलिज,
मोदीनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)

डॉ० हरीश कुमार
शोध निर्देशक
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
एम०एम० (पी०जी०) कॉलिज
मोदीनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)

सारांश

भारत में महिलाओं की विशाल संख्या अधीनता तथा उपेक्षित वर्ग का जीवन बिता रही है और इसी कारण समाज में विषमता बढ़ रही है। हालांकि महिलाआएं अब बड़ी संख्या में आर्थिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, पर वास्तव में न तो वे इससे लाभान्वित हो रही हैं और न ही वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस बदलाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। स्थानीय शासन की इकाईयों में ऐसा बहुत ही कम होता है कि ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने बलबूते पर ही निर्वाचित हों। जबकि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि जो महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होती हैं उसमें उसके पुरूष परिवारजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की महिला प्रतिनिधियों के आनुभाविक प्रमाणों के आधार पर राज्य में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्थिति एवं राजनीति में भागीदारी एवं सक्रियता की प्रकृति का परीक्षण किया गया है।

मूल बिन्दु

महिला प्रतिनिधि, प्रशासनिक–कार्यकुशलता, सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, ई–पंचायत, महिला आरक्षण, विकासखण्ड, आर्थिक समस्या, सामाजिक दबाव, राजनीतिक पृष्ठभूमि, नियोजन–व्यवस्था।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 28.02.2022
Approved: 12.03.2022

दिग्विजय सिंह,
डॉ० हरीश कुमार

पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक भूमिका : एक अवलोकन

RJPP Oct.21-Mar.22, Vol. XX, No. I,

pp.153-158
Article No. 20

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-1

भूमिका

भारत में स्त्रियों की प्रस्थिति के सम्बन्ध में हम यह अवश्य कहना चाहेंगे कि महिलाओं को जिस दृष्टि से समाज द्वारा देखा जाता है, और लिंग में अन्तर करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें पुरूषों के समकक्ष नहीं समझा जाता। भारत के विकसित समाज की यह सबसे बड़ी त्रासदी है। भले ही वर्तमान में स्त्रियों ने पढ़–लिखकर कुछ विशेष स्थानों तथा पदों पर पुरूषों की बराबरी कर ली हो, किन्तु उनका विषय इतना कम है कि वह अवहेलना का शिकार होती जा रही हैं। ईश्वर ने मानव को दो रूप दिये हैं– एक पुरूष और दूसरा नारी। भगवान ने स्त्री जाति के शरीर को इस प्रकार मण्डित किया है कि वह संसार के भविष्य की स्वयं निर्मात्री हो गयी है। कई युगपुरूष हुए हैं, जो नारी के हर रूप में चाहे वह माँ, पत्नी, बहिन, भाभी अथवा दाई रही हो, से प्रभावित होकर महान बने हैं। अतः कह सकते हैं कि संसार की तरक्की नारी के विकास पर पूर्णतः निर्भर है। उसे हर क्षेत्र में बढ़ावा देना, सहभागिता व सक्रियता जैसे शब्दों को साकार कर देने में ही देश में ही देश का भला हो सकता है उसे परियक्त, अपमानित करके नहीं। महाभारत में भी कहा गया है–

''अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा।
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः।।''

वह अर्धांगिनी बनकर व्यक्ति को सम्पूर्ण करती है। आज के दौर में स्त्रियां इंजीनियर, पायलट, डाक्टर, नर्स, अध्यापिका तथा सबसे महत्वपूर्ण देश भी संभाल रही है। आज वर्तमान में महिलाएं रक्षा क्षेत्र में भी विशेष भूमिका का निर्वहन कर रही हैं जो कि देश की आन्तरिक व बाह्य सुरखा की दृष्टि से भी विश्व में अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का एक साहसिक कदम है। पूर्व विदेशमंत्री स्व0 वित्तमंत्री व पूर्व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन आदि देश का गौर बन रही हैं।

प्राचीन भारत से ही भारत में ग्रामीण प्रशासन प्रचलित था। रामायण, महाभारत काल के साहित्य में सभाओं, समितियों तथा गांवों का उल्लेख मिलता है। प्रो0 अल्तेकर के अनुसार ''अति प्राचीन काल से ही भारत के ग्राम शासन व्यवस्था की धुरी रहे हैं।''[1] शुक्र ने गांवों की परिभाषा देते हुए बताया है कि ''जहां से एक सहस्त्र चादी के पण की आय हो वह गांव है।''[2] त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गयी है। पंचायती राज व्यवस्था के नवीन स्वरूप को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मान्यता मिल जाने के पश्चात् सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 में राजस्थान सरकार द्वारा इसे अपने प्रदेश में लागू किया गया। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। मेघालय व नागालैण्ड को छोड़कर सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जा चुकी है।

73वें संविधान संशोधन दम तोड़ती पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक क्रान्तिकारी कदम है। नवीन संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुदृढ़, सशक्त एवं स्वायत्तशासी हो सकेगी और उसके पास ऐसी शक्तियां और अधिकार एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे जिनसे ये संस्थाएं स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकेंगी तथा ग्रामीण विकास एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को बनाये रखने के लिए जिससे वह गांवों की जनता को आर्थिक एवं सामाजिक समानता व न्याय प्रदान कर सकें।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में क्रमशः 1993 एवं 1994 में पंचायती राज पर नये अधिनियम पारित किये। देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सार्थक क्रियान्विति की गई। पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के आठ राज्यों के जनजातीय इलाकों में पंचायतों की पहुंच हो गई है। यह अधिनियम–24 दिसम्बर, 1996 से लागू हो गया है। बिहार को छोड़कर सभी राज्यों ने 1996 के इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने वाले कानून पारित कर दिए हैं।[3] इस प्रकार 73वें संवधिान संशोधन अधिनियम ने ग्राम सभाओं को मान्यता एवं महत्व देकर भारत के लोकतंत्र में एक नया आयाम जोड़ा है।

विगत 73 वर्षों में महिलाओं की भागीदारी पर अनेक अध्ययन हुए हैं। जिनमें देश के विभिन्न राज्यों में उनकी परिस्थितियों में समानताओं और विभिन्नताओं के विषय में बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं। उत्तर भारत में पर्दे या घूंघट की प्रथा है। बहुत से लोगों का मत है कि यह प्रभा स्त्रियों के विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रूकावट है, जबकि दक्षिण भारत में जहां महिलाएं घूंघट नहीं काढ़े हुए नजर आतीं लेकिन वे भी पुरूषों के उतनी ही अधीन हैं, जितनी की उत्तर भारत में। महिलाएं चाहे किसी भी राज्य, जाति, वर्ग या धर्म की हों जब उनसे ये पूछा गया तो प्रायः एक ही उत्तर आया कि पंचायतों में कुछ पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसीलिए मेरे पति ने मुझे नामांकन पत्र भरवा दिया। इनमें से कुछ महिलाओं ने घर–घर जाकर प्रचार भी किया किन्तु बहुत–सी महिलाएं घर पर ही रहीं और उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य वोट मांगने गए।[4]

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होने के अवसर दिये जा रहे हैं। पंचायती राज के माध्यम से आज ग्रामीण और शहरी अंचल की महिलाएं सशक्त होती जा रही है। किन्तु उनकी राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं है।[5] किसी भी समाज की श्रेष्ठता या हीनता का निर्णय उस समाज की महिलाओं की स्थिति से होता है। यहां महिलाओं की स्थिति से तात्पर्य समाज में महिलाओं का कथन, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान, उनके गौरव तथा उसे समाज में पुरूषों की तुलना में उनकी दशा से है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु यह सुधार बहुधा शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में आया है, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास में आने वाली बाधाओं व अवरोधकों को दूर कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके व विकास की प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और उनकी सक्रिय भागीदारी को सम्मान मिल सके।

''महिलाओं को सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी एवं मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान आरक्षण के रूप में स्थानीय स्वशासन में भाग लेने के लिए दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जागरूकता व शिक्षा के अभाव के कारण विशेषकर ग्रामीण परिवेश की अधिकांश महिलायें अपने राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखती हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलायें राजनैतिक क्षेत्र में अभी भी अधिक सक्रिय व जागरूक नहीं हो पाई हैं।[6]

यहीं वजह है कि दहेज हत्या, घरेलू हिंसा इत्यादि से महिलाओं की रक्षा करने हेतु अनेकों कानून बनाये गये। स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में अनिवार्य समझा गया।

इसीलिए विभिन्न स्थानीय तथा राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं ने हिस्सा लिया, पर महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कम होने के कारण प्रायः महिलाएं अपने परिवार के पुरूषों के अनुरूप मतदान करते देखी गयी हैं। प्रायः महिलाओं के लिए राजनैतिक व आर्थिक आरक्षण की मांग उठती रही हैं। इसका कारण सम्भवतः यही है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व, राज्य व पंचायत स्तरों पर प्रतिनिधित्व बहुत कम है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान संशोधित किया गया। इस सम्बन्ध में गांधी जी ने कहा था कि ''सच्चे लोकतंत्र को केन्द्र में बैठे व्यक्ति नहीं चला सकते। इसे प्रत्येक गांव के निचले स्तर के लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता है।[7]

साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की राजनीतिक व प्रशासनिक भूमिका, राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता का अध्ययन करना है। अतः विषय वस्तु की पृष्ठभूमि को समझने केलिए पंचायती राजव्यवस्था एवं उसमें महिलाओं की भूमिका सम्बन्धित लेखों, पुस्तकों, शोध ग्रन्थों एवं शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है। जिसका विवेचन इस प्रकार हैं–

भारत गांवों का देश है, इसकी अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। ब्रजराज चौहान के शब्दों में– ''भारत में 8 में से 7 आदमी गांवों में रहते हैं जबकि दूसरे देशों में आधे या इससे भी अधिक लोग शहरों में रहते हैं।

भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय के आन्तरिक और बाह्य खतरों का निपटारा होता रहा है। भारत में वर्तमान समय में 2 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतें संगठित की गयी हैं और देश भर में 9 लाख 75 हजार महिला पंचायतें प्रतिनिधि है।[8]

पंचायती राज सत्ता का विकेन्द्रीकरण की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आम आदमी के द्वारा अपने ग्राम स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भाग लेना है। राजधानी दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था के 15 वर्षों की उपलब्धियों तथा स्थानीय लोकतंन्त्र को अधिक सशक्त बनाने के मुदों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा– ''पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया है।'' इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि आज देश भर में चुने हुए 26 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग 9 लाख 75 हजार प्रतिनिधि महिलाएं हैं। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि नवनिर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों की संख्या, विश्व के कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या से भी अधिक है।[9]

एवलेन वुड (1964)[10], पार्वथम्मा (1964)[11], जे0आर0 रेड्डी (1967)[12], एम0एन0 श्रीनिवासन (1976)[13], इन्द्रा अवस्था (1982)[14], रेखा बिष्ट (1998)[15], शकुन्तला नरसिंहमन (1999)[16], सुमनलता (2002)[17], ब्रजमोहन रावत (2004)[18], धन सिंह रावत (2010)[19], रीना आर्य (2011)[20], ममता मेहरा (2014)[21], श्याम सुन्दर प्रसार (2016)[22], सेमवाल (2018) ने अपने–अपने राज्यों की पंचायतों में महिला सदस्यों की सदस्यों की संख्या, जाति संरचना, शिक्षा, सूचना तकनीकी, संचार, राजनीतिक सक्रियता एवं जागरूकता, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण पर अपने शोध निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि महिलाएं स्वयं जागरूक एवं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के महत्व को समझ कर यदि उनका प्रयोग करती हैं और आगे बढ़कर अपनी भूमिका को सशक्त बनाती हैं, तभी पंचायती राज में उनके 50 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक अर्थ साकार होगा अन्यथा केवल संख्यात्मक वृद्धि से उनकी स्थिति में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि 50 प्रतिशत आरक्षण द्वारा महिलाओं को नेतृत्व की कमान तो सौंपी गयी है, पर खुले तौर पर वे पराधीन है। वे व्यवस्था का संचालन पुरूषों की सहमति के बिना नहीं कर पाती हैं। परन्तु धीरे–धीरे उनमें परिवर्तन आया है। वे विचार–विमर्श एवं प्रशिक्षणों की सहायता से राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं। यदि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में यह जागरूकता आ जाए, कि वे स्वयं सब कुछ कर सकती हैं, घर संभाल सकती हैं, देश भी संभालना जानती हैं, तो महिलाओं के चेहरों पर तो रौनक लौटेगी ही, साथ ही गांव, क्षेत्र व देश का विकास भी तीव्र गति से होगा। ऐसे कई उदाहरण हमें आंकड़े एकत्रीकरण के दौरान मिले जहां ग्रामीण क्षेत्रों की इन महिला प्रतिनिधियों ने कई तरह की समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। जिनमें कई बार समाज द्वारा महिला प्रतिनिधियों को पुरूष प्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता विकास व पंचायतों के काम को लेकर समय से उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

संन्दर्भ

1. अल्तेकर, ए. एस. प्राचीन भारतीय पद्धति. **पृष्ठ 170–72.**
2. शुक्रनीति. 1/192.
3. (2002). भारत–प्रकाशन विभाग, 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय'. भारत सरकारः नई दिल्ली. **पृष्ठ 456.**
4. (2001). त्रिपाठी, राजमणि, 'पंचायतीराज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण'. कुरूक्षेत्र पत्रिकाः **पृष्ठ 13.**
5. सिंह, निशांत. 'पंचायती राज और महिलाएं'. सुनील साहित्यः दिल्ली. **पृष्ठ 08.**
6. कौशिक, आशा. (2007). अल्तेकर. 'नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ. प्वाइंटर पब्लिशर्सः जयपुर. **पृष्ठ 123.**
7. कुमार, मनीश. (2007). 'ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका'. कुरूक्षेत्र. अगस्त. **पृष्ठ 27.**
8. (2008). आउटलुक, साप्ताहिक पंचायतों का तूफान. 22–28 अप्रैल. **पृष्ठ 32.**
9. पंचोला, राखी. एवं सेमवाल, एम. एम. (2001). पर्वतीय महिला एवं पंचायत राज. रिसर्च इण्डिया प्रेसः न्यू देहली. **पृष्ठ 203.**
10. (1964). वुड एवलेन कास्टस लेटैस्ट इमेज इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली. **पृष्ठ 951–952.**
11. पार्वथम्मा, सी. (1964). 'इलेक्शन एण्ड रेडिशनल ए लीडरशिप इन ए मैसूर विलेज'. इकॉनोमिक वीकली. नृ0 11. **पृष्ठ 476–481.**
12. रेड्डी, जी. राम. (1967). सोशल कम्पोजीशन ऑफ पंचायती राज बैक ग्राउण्ड ऑफ पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव इन आंध्र इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली. वाल्यूम 111. नं0 50, 23. दिसम्बर. **पृष्ठ 2211.**

13. श्रीनिवासन, एम. एन. (1976). 'द चेजिंग पोजीशन ऑफ इण्डियन वूमन'. **पृष्ठ 221–224.**
14. अवस्थी, इन्द्रा. (1983). रूलर ऑफ वूमन ऑफ इण्डियाः चुंग पब्लिकेशनः इलाहाबाद।
15. बिष्ट, रेखा. (1998). भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक स्थिति कर अध्ययन. (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध).
16. नरसिंम्हन, शकुन्तला. इम्पावरिंग वूमन, (1999). एन एलटरनेटिव स्ट्रेटरजी फ्राम रूलर इण्डिया. सेज पब्लिकेशनः नई देहली.
17. सुमनलता. (2002). पंचायती राज में महिला नेतृत्व (पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध).
18. रावत, ब्रजमोहन. (2004). नारी समानता एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन. अप्रकाशित शोध ग्रन्थ. **पृष्ठ 78.**
19. मेहरा, ममता. पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण (ग्राम पंचायतों की महिला प्रतिनिधियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. अप्रकाशित शोध प्रबन्ध).
20. (2019). 'त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : छोटी सरकार में रहेगा महिलाओं को दबदबा, 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था'. अमर उजालाः 25. सितम्बर.
21. (2011). रिसर्च इण्डिया प्रेसः नई देहली. **पृष्ठ 214.**
22. श्रीवास्तव, दिनेश. 'भारत में ग्राम विकास की नई चेतना'. प्रतियोगिता दर्पण. नवम् अंक. अप्रैल. **पृष्ठ 1603–1609.**